न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :— 14/2019 निर्णय दिनांक :—13.08.2024

उनवानी दावा:—

1. राकेश चौधरी पुत्र श्री भंवरलाल जाति जाट आयु 21 वर्ष निवासी कासीर, तहसील देवली, जिला टोंक राज0।
2. नन्द किशोर पुत्र श्री रघुनाथ जाति जाट आयु 46 वर्ष निवासी कासीर, तहसील देवली, जिला टोंक राज0।

—वादीगण—

बनाम

1. सायर देवी पत्नी स्व0 श्री हंसराज जाति जाट आयु बालिग निवासी कासीर, तहसील देवली, जिला टोंक राज0।
2. सरोज पुत्री स्व0 श्री हंसराज पत्नी श्री श्रवणलाल जाति जाट आयु बालिग निवासी माधोगंज, तहसील टोडारायसिंह जिला—टोंक राज0।
3. चंचल पुत्री स्व0 श्री हंसराज जाति जाट आयु बालिग निवासी कासीर, तहसील देवली, जिला टोंक राज0।
3. तहसीलदार साहब देवली जिला टोंक राज0।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थिति :—
श्री राजेश जैन
अधिवक्ता वादीगण

श्री रामनिवास तुनगारिया
प्रतिवादी संख्या 1 ता 3
तहसीलदार देवली

दावा बंटवारा आराजीयात व स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। निर्णय/आदेश इस प्रकार है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री आदेश दिनांक 27.02.2024 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली में बाद बहस पारित किया गया था। पारित आदेश की पालना में तहसीलदार देवली से कुर्रेजात रिपोर्ट क्रमांक 1737 दिनांक 06.06.2024 से प्राप्त हुई।

कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अधिवक्ता श्री रामनिवास तुनगारिया ने प्रार्थना पत्र बाबत निरस्त किये जाने एकतरफा कार्यवाही मय वकालतनामा पेश किया।

अधिवक्ता वादीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने एकतरफा कार्यवाही पेश किया।

प्रा. पत्र निरस्त किये जाने एकतरफा कार्यवाही पर उभयपक्ष अधिवक्ता से बहस सुनी।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहरान करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के जवाब के तथ्यो का दोहरान करते हुए प्रार्थना पत्र को अस्वीकार/खारिज करने की प्रार्थना की।

प्रार्थना पत्र व जवाब का अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायाहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

अधिवक्ता उभयपक्ष से कुर्रेजात रिपोर्ट क्रमांक 1737 दिनांक 06.06.2024 पर बहस सुनी।

अधिवक्ता वादी ने कुर्रेजात रिपोर्ट को सही व नियमानुसार बताकर वाद को डिक्री करने की प्रार्थना की।

अधिवकता प्रतिवादी ने कथन किया कि कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करते समय न तो पक्षकारान को मौके पर बुलाया गया और न ही कुर्रेजात रिपोर्ट मौके पर कब्जेकाश्त अनुसार तैयार की गई। अतः पक्षकारान की उपस्थिति व मौके को मध्यनजर रखते हुए कुर्रेजात रिपोर्ट पुनः तैयार कर मंगवाई जावे।

कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। कुर्रेजात रिपोर्ट न्यायहित में पुनः मंगवाया जाना उचित प्रतीत होने से अधिवक्ता उभयपक्ष पक्षकारान को दिनांक 24.07.24 को मौके पर उपस्थित होने हेतु नोटेड करवाया गया और तहसीलदार देवली को दिनांक 24.07.24 को मौके पर उपस्थित होकर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने हेतु क्रमांक 693 दिनांक 11.07.24 से पत्र लिखा गया।

तहसीलदार देवली से क्रमांक 2445 दिनांक 30.7.24 से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त,जिसको शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली पुनः बहस में नियत की गई ।

अधिवक्ता उभयपक्ष से कुर्रेजात रिपोर्ट क्रमांक 2445 दिनांक 30.7.24 पर बहस सुनी।

कुर्रेजात रिपोर्ट को अधिवक्ता उभयपक्ष से अवलोकन करवाया गया।

अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी बहस में कुर्रेजात रिपोर्ट को सही बताया और अन्तिम डिक्री जारी करने की प्रार्थना की।

कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट क्रमांक 2445 दिनांक 30.7.24 का अवलोकन किया। तहसीलदार देवली द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किये गये है।

अतः जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 46 ख. नं. 1959 रकबा 1.86 है0 वाके ग्राम कासीर तहसील देवली जिला टोक के विभाजन हेतु तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा स्वीकार किया जाना उचित होने से अंतिम डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

अतः तहसीलदार देवली की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार रहेगा :–

Scanned with OKEN Scanner

खाता संख्या 46 वाके ग्राम कासीर तहसील देवली में हिस्सा निम्नानुसार रहेगा:–

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान
1.	रांकेश पुत्र भंवरलाल जाति जाट सा. देह खातेदार रहन इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा देवली नक्शा ट्रेस में हरे रंग से दर्शित	1959/1	0.62	बा–1	4.96
	योग	किता–1	0.62	–	4.96
2.	नन्द किशोर पुत्र रघुनाथ जाट सा. देह खातेदार रहन इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा देवली नक्शा ट्रेस में नीले रंग से दर्शित	1959/2	0.62	–	4.96
	योग	किता–1	0.62	नहरी–1	4.84
3.	सरोज चंचल पुत्रियां सायर देवी पत्नी हंसराज सा. देह खातेदार रहन इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा देवली नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शित	1959/3	0.62	बा–1	4.96
	योग	किता–1	0.62	–	4.84

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं, जरिये एजेंट, नोकर, चाकर, एवं अन्य पारिवारिक सदस्यो के वादी के उक्तानुसार हिस्से की भूमि की हद तक वादीगण के कब्जेकाश्त, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे और रहन, दान, वसियन नहीं करे। राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति वाद की पालना तक बनाये रखे। तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ संलग्न रहेगी। तद्नुसार अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 13.08.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner

अंतिम डिक्री

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

आो 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी...
मुकाम देवली व अलजाम श्री दुर्गा प्रसाद मीना उपखण्ड अधिकारी देवली आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक..... .

उनवानी दावा:–

1. राकेश चौधरी पुत्र श्री भंवरलाल जाति जाट आयु 21 वर्ष निवासी कासीर, तहसील देवली, जिला टोंक राज0।
2. नन्द किशोर पुत्र श्री रघुनाथ जाति जाट आयु 46 वर्ष निवासी कासीर, तहसील देवली, जिला टोंक राज0।

–वादीगण–

बनाम

1. सायर देवी पत्नी स्व0 श्री हंसराज जाति जाट आयु बालिग निवासी कासीर, तहसील देवली, जिला टोंक राज0।
2. सरोज पुत्री स्व0 श्री हंसराज पत्नी श्री श्रवणलाल जाति जाट आयु बालिग निवासी माधोगंज, तहसील टोडारायसिंह जिला–टोंक राज0।
3. चंचल पुत्री स्व0 श्री हंसराज जाति जाट आयु बालिग निवासी कासीर, तहसील देवली, जिला टोंक राज0।
3. तहसीलदार साहब देवली जिला टोंक राज0।

–प्रतिवादीगण–

दावा बंटवारा आराजीयात व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 14 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री राजेश जैन अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्री रामनिवास तुनगारिया अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अंतिम डिक्री दी जाती है कि

आदेश

अतः जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 46 ख. नं. 1959 रकबा 1.86 है0 वाके ग्राम कासीर तहसील देवली जिला टोक के विभाजन हेतु तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा स्वीकार किया जाना उचित होने से अंतिम डिक्री पर्चा जारी किया जाता हैं।

अतः तहसीलदार देवली की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार रहेगा :–

खाता संख्या 46 वाके ग्राम कासीर तहसील देवली में हिस्सा निम्नानुसार रहेगा:–

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान

1.	राकेश पुत्र भंवरलाल जाति जाट सा. देह खातेदार रहन इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा देवली नक्शा ट्रेस में हरे रंग से दर्शित	1959/1	0.62	बा–1	4.96
	योग	किता–1	0.62	–	4.96
2.	नन्द किशोर पुत्र रघुनाथ जाट सा. देह खातेदार रहन इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा देवली नक्शा ट्रेस में नीले रंग से दर्शित	1959/2	0.62	–	4.96
	योग	किता–1	0.62	नहरी–1	4.84
3.	सरोज चंचल पुत्रियां सायर देवी पत्नी हंसराज सा. देह खातेदार रहन इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा देवली नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शित	1959/3	0.62	बा–1	4.96
	योग	किता–1	0.62	–	4.84

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं, जरिये एजेंट, नोकर, चाकर, एवं अन्य पारिवारिक सदस्यो के वादी के उक्तानुसार हिस्से की भूमि की हद तक वादीगण के कब्जेकाश्त, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे और रहन, दान, वसियन नहीं करे। राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति वाद की पालना तक बनाये रखे। तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ संलग्न रहेगी।

निजी.....मुवलिक.....बाबत् .....

.....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक ..... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 13 माह 08 सन् 2024 को जारी किया गया।

दस्तख्त .....13/8/24.....

मुहर

ओहदा .....उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक).....

मुददई	रू.	पै.	मुददायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner